फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

रोहित कुमार वगै0 बनाम राजेश वगै0

मुकदमा संख्या : 226/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगणो को सुनवाई हेतु तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाकर रजि0 डाक रसीद पेश करने हेतु पूर्व में आदेशित किया जा चुका है। लेकिन वकील वादी द्वारा पत्रावली मे आदिनांक तक प्रतिवादीगणो को तलबी करवाकर रजि0 डाक रसीद पेश नही की है। जिससे यह जाहिर होता है कि वकील वादी व वादी उक्त पत्रावली मे को केवल न्यायालय में स्टे प्राप्त करने हेतु ही पेश किया गया है। किसी प्रकार को कोई अनुतोष नही चाहा गया है। चुकि पत्रावली में वकील वादी को तलबी हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। लेकिन वकील वादी द्वारा न्यायालय के आदेश की बार–बार अवहेलना की है। जिससे वादी के वाद को न्यायालय के आदेशों की पालना नही करने पर नोन कम्पलाईन्स में खारिज करना उचित समझते है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	